



2026:AHC:58402

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन सं. - 9558 वर्ष 2026

बृजेश कुमार

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(ओं) के अधिवक्ता : दलवीर सिंह

विपक्षी पक्ष(ओं) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता(जी.ए.)

न्यायालय सं. - 67

माननीय समीर जैन, न्यायमूर्ति

1. श्री दलवीर सिंह, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और श्री मनोज कुमार सिंह, राज्य के विद्वान संक्षिप्त धारक को सुना गया।
2. यह वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक की ओर से अपराध संख्या 70 वर्ष 2025, बी.एन.एस. की धाराओं 85 और 80(2) तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4, थाना पिलुआ, जिला

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



एटा में विचारण की लंबितता के दौरान उसे जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यद्यपि आवेदक मृतका का पति है, किंतु झूठे आरोप के आधार पर उसे इस मामले में अभियुक्त बनाया गया है।

4. उन्होंने आगे तर्क दिया कि वास्तव में मृतका को संदेह था कि आवेदक ने पड़ोसी मंजू के साथ अवैध संबंध स्थापित किए थे और केवल इसी कारण उसने फाँसी लगाकर आत्महत्या की और जांच के दौरान दर्ज मृतका के भाई राहुल के बयान से भी यह स्पष्ट है कि आवेदक और उसकी पड़ोसी के बीच अवैध संबंध थे, जिसे तत्काल जमानत आवेदन के साथ संलग्न किया गया है। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी यह सुझाती है कि उसकी मृत्यु फाँसी लगाने से हुई।

5. उन्होंने आगे तर्क दिया कि दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद भी सूचनादाता पक्ष को सूचित किया गया और वे दिनांक 23/24.7.2025 की रात को पंचायतनामे में आए और भाग लिया तथा लगभग आठ दिन बाद, अर्थात् दिनांक 31.7.2025 को, सूचनादाता ने इस मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की और यह तथ्य स्पष्ट रूप से यह सुझाता है कि झूठे आरोप के आधार पर सूचनादाता ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की और वास्तव में यह दहेज मृत्यु का मामला नहीं है।

6. उन्होंने आगे तर्क दिया कि आवेदक का कोई पूर्ववर्ती आपराधिक इतिहास नहीं है और इस मामले में वह दिनांक 7.9.2025 से, अर्थात् पिछले छह महीने से अधिक समय से जेल में है।

7. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता(ए.जी.ए.) ने यद्यपि जमानत की प्रार्थना का विरोध किया किंतु आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तथ्यों पर उठाए गए तर्क का खंडन नहीं कर सके।

8. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया तथा मामले के अभिलेख का परिशीलन किया गया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



9. यद्यपि आवेदक मृतका का पति है और उसकी पत्नी की मृत्यु विवाह के ढाई वर्ष के भीतर असामान्य परिस्थितियों में वैवाहिक घर में हुई है और भैंस, चार पहिया वाहन और दो लाख रुपये की माँग के संबंध में यातना का भी आरोप है, किंतु मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट यह सुझाती है कि उसकी मृत्यु फाँसी लगाने से हुई है और इसलिए इस स्तर पर मृतका द्वारा आत्महत्या की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता और जांच के दौरान दर्ज मृतका के भाई के बयान पर विचार करते हुए बहस के दौरान आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रकट आत्महत्या का कारण भी इस स्तर पर नकारा नहीं जा सकता।

10. इसके अलावा, यह प्रकट होता है कि यद्यपि सूचनाकर्ता दिनांक 23/24.7.2025 की रात को किए गए पंचायतनामे के समय उपस्थित था, किंतु इस मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 31.7.2025, अर्थात् एक सप्ताह से अधिक के बाद दर्ज की गई।

11. इसके अलावा, आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह इस मामले में दिनांक 7.9.2025 से, अर्थात् पिछले छह महीने से अधिक समय से जेल में है।

12. इसके अलावा, विधि यह स्थापित है कि जब तक दोषी सिद्ध न हो, अभियुक्त को निर्दोष माना जाता है और जमानत आवेदन को दंडात्मक या निवारक उद्देश्यों के लिए खारिज नहीं किया जाना चाहिए।

13. इसलिए, उपरोक्त मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, मेरे विचार में आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

14. तदनुसार, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, वर्तमान जमानत आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

15. आवेदक-**बृजेश कुमार** को उपरोक्त मामले में संबन्धित न्यायालय की संतुष्टि के लिए समान राशि में दो जमानतदारों के साथ व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(i) आवेदक निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति छूट न दी गई हो।

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को न्यायालय या पुलिस अधिकारी को तथ्य बताने से हतोत्साहित करने के लिए कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा और न ही साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करेगा।

(iii) आवेदक किसी भी आपराधिक और असामाजिक गतिविधि में लिप्त नहीं होगा।

16. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, अभियोजन पक्ष को इस न्यायालय के समक्ष आवेदक की जमानत निरस्तीकरण के लिए आवेदन करने की स्वतंत्रता होगी।

17. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहाँ की गई टिप्पणियाँ पक्षकारों द्वारा जमानत आवेदन के निस्तारण से संबंधित लाए गए तथ्यों तक सीमित हैं और उक्त टिप्पणियोंका विचारण के दौरान मामले में गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(समीर जैन, न्यायमूर्ति)

मार्च 20, 2026

एसकेएम

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।